कार्यालय जिलाधिकारी, देहरादून।

E-Mail ID-dehradundm@gmail.com PHONE-0135-2622389 FAX-2720025

पत्र संख्या 1487/खनिज–अनु0/2024 दिनांक 4 मई, 2024

सेवा में,

डिप्टी रजिस्ट्रार,
मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
फरीदकोट हाउस कोपरनिकस मार्ग,
नई दिल्ली 110001

विषयः– **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या–97/2024 मदन लाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांकित 05.04.2024 के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक **योजित मूल आवेदन संख्या–97/2024 मदन लाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांकित 05.04.2024** का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शिकायतकर्ता श्री मदन सिंह द्वारा मा0 अधिकरण में प्रस्तुत शिकायती–पत्र दिनांकित 30.08.2023 सम्बन्धी प्रकरण पर निम्न आदेश पारित किये गये हैं :–

4. " In view of the averments made in the application, we also consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and suggest appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of representatives of MoEF&CC Integrated Regional Office, Dehradun, Uttarakhand Pollution Control Board and the District Magistrate, Dehradun and direct the same to undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and suggest appropriate remedial action. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance.
5. Facatual and Action taken report may be submitted at least three days before the date of hearing.

प्रकरण पर सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का पत्रांक–यूकेपीसीबी/एच.ओ./सा0–183–763/2024/63 दिनांकित 23.04.2024 कार्यालय में प्राप्त हुआ। सदस्य सचिव, मुख्यालय उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड "गौरा देवी पर्यावरण भवन" 46वी आई0टी0 पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून के पत्र दिनांक 23.04.2024 के कम में एवं मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के पारित आदेश दिनांक 05.04.2024 के अनुपालन में कार्यालय के पत्र संख्या–1472/खनिज–अनु0/2024 दिनांक 24 अप्रैल, 2024 के द्वारा ग्राम पंचायत आसोई पाटन टौंस नदी में अवैध खनन के सम्बन्ध में संयुक्त निरीक्षण हेतु उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से श्री डा0 राजकुमार चतुर्वेदी, क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0), क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून के साथ संयुक्त स्थल निरीक्षण हेतु उपजिलाधिकारी चकराता को नामित किया गया है। **(संलग्नक–1, 2)**

........2

तदोपरान्त कार्यालय में क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून का पत्र संख्या–यूकेपीसीबी/आर0ओ0डी0/एन0जी0टी0–101/2024–25/405–248 दिनांक 03.05.2024 प्राप्त हुआ, जिसमें उनके द्वारा प्रकरण पर मा0 अधिकरण द्वारा गठित संयुक्त कमेटी की स्थलीय निरीक्षण आख्या दिनांकित 29.04.2024 कार्यालय में उपलब्ध करायी गयी। **(संलग्नक–3)**

मा0 अधिकरण द्वारा गठित संयुक्त कमेटी की स्थल निरीक्षण आख्या दिनांकित 29.04.2024 में उल्लिखित किया गया है कि ग्राम असोई (पाटन) मोटर मार्ग के किनारे मौके निरीक्षण दिनांक को भण्डारित/एकत्रित किये गये बालू/रेत की पैमाईस की गयी, जो क्रमशः 7.50 घनमीटर, 105 घनमीटर, 78.75 घनमीटर, 7.80 घनमीटर, 3.60 घनमीटर, 29.26 घनमीटर, 480 घनमीटर, 60 घनमीटर एवं 75.60 घनमीटर बालू/रेत पाया गया। मौके पर उपस्थित शिकायतकर्ता श्री मदन लाल द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त स्थल पर श्री ग्यारह सिंह पुत्र श्री राम सिंह निवासी ग्राम असोई (पाटन) तहसील चकराता द्वारा कुल 296.11 घनमीटर बालू एवं श्री विजन सिंह पुत्र श्री धन सिंह निवासी ग्राम असोई (पाटन) तहसील चकराता द्वारा कुल 551.40 घनमीटर बालू को अवैध रूप से एकत्रित/भण्डारित किया गया है।

उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या–1874/VII-A–1/2021/158 ख–04 टीसी, दिनांक 10 नवम्बर, 2021 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड खनिल (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021 के नियम 14(5)(ख) में उल्लेखित है कि "अवैध भण्डारणकर्ता/अवैध खननकर्ता से अधिनियम की धारा–21 की उपधारा पधारा (2) एवं उपधारा (5) के अनुसार अवैध उत्खनित खनिज/परिवहन किये जा रहे अवैध खनिज /भण्डारित अवैध खनिज की मात्रा पर उपनियम (5)(क) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी तथा उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली–2023 के नियम 57(1) के प्राविधानानुसार जो कोई भी नियम–3 के उपबन्धों का उल्लंघन करें व दोषी सिद्व हो जाने पर प्रथम वार में अवैध उत्खनित खनिज की मात्रा पर रॉयल्टी का 02(2) गुना तथा तत्पश्चात् रॉयल्टी का 03 (तीन) गुना के समतुल्य धनराशि वसूल की जायेगी।

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून की आख्यानुसार तहसील चकराता के ग्राम पंचायत असोई (पाटन) के मोटर मार्ग पर शिकायतकर्ता की शिकायत के कम में श्री ग्यारह सिंह पुत्र श्री राम सिंह निवासी ग्राम आसोई (पाटन) तहसील चकराता द्वारा कुल 296.11 घनमीटर/532.99 टन बालू एवं श्री विजन सिंह पुत्र श्री धन सिंह निवासी ग्राम असोई (पाटन) तहसील चकराता द्वारा कुल 551.40 घनमीटर/992.52 टन बालू का अवैध रूप से भण्डारण/एकत्रित किये जाने पर राज्य प्रचलित उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021 व संशोधित नियमावली–2023 के नियम (14(5)(क) एवं उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली–2023 के नियम 57(1) के अनुसार कार्यवाही किये जाने पर श्री ग्यारह सिंह पर रॉयल्टी का दो गुना अर्थात् रू 140.00 प्रति टन की दर से (532.99X70X2) रू0 74,619.00 (रू0 चौहत्तर हजार छः सौ उन्नीस मात्र) एवं श्री विजन सिंह पुत्र श्री धन सिंह पर रायल्टी का दो गुना अर्थात् रू0 140.00 प्रति टन की दर से (992.52X70X2) रु0 1,38.953.00 (रू0 एक लाख अड़तीस हजार नौ सौ तिनपेन मात्र) की धनराशि अर्थदण्ड के रूप में आंगणित होती है।

मौका निरीक्षण को ग्राम पंचायत असोई (पाटन) के नीचे स्थित टौंस नदी क्षेत्र में अवैध रूप से उपखनिज उत्खनन कार्य पाया गया। मौके पर टौंस नदी में 05 स्थलों पर उत्खनित किये गये उपखनिज की पैमाईस की गयी, जो औसतानुसार निम्नवत् पायी गयी–

1– ल0 09 मी0 X चौ0 03 मी0 X गह0 0.70 मी0 = 18.90 घनमीटर (आर0बी0एम0)
2– ल0 27 मी0 X चौ0 05 मी0 X गह0 1.00 मी0 = 135 घनमीटर (आर0बी0एम0)
3– ल0 09 मी0 X चौ0 04 मी0 X गह0 0.50 मी0 = 18 घनमीटर (आर0बी0एम0)
4– ल0 03 मी0 X चौ0 02 मी0 X गह0 0.50 मी0 = 03 घनमीटर (आर0बी0एम0)
5– ल0 20 मी0 X चौ0 07 मी0 X गह0 1.50 मी0 = 210 घनमीटर (बालू/रेत)

........3

मौका निरीक्षण दिनांक को ग्राम पंचायत असोई (पाटन) के नीचे स्थित टौंस नदी क्षेत्र में कुल 384.90 घनमीटर/692.82 टन उपखनिज आर0बी0एम0, बालू/रेत का अवैध रूप से उत्खनन किया हुआ पाया गया। मौके पर उपस्थित शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया कि टौंस नदी क्षेत्र में अवैध खनन का कार्य श्री विजन सिंह पुत्र श्री धन सिंह एवं श्री ग्यारह सिंह पुत्र श्री राम सिंह निवासी ग्राम असोई (पाटन) तहसील चकराता द्वारा किया गया। टौंस नदी क्षेत्र में कुल 384.90 घनमीटर/692.82 टन उपखनिज आर0बी0एम0, बालू/रेत पर अवैध रूप से उत्खनन कार्य किये जाने पर वर्तमान में राज्य प्रचालित उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021 व संशोधित नियमावली–2023 के नियम 14(5)(क) एवं उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली–2023 के नियम 57(1) के अनुसार कार्यवाही किये जाने पर अवैध खननकर्ता पर रायल्टी का दो गुना अर्थात् रू0 140.00 प्रति टन की दर से (692.82X70X2) रु0 96,995.00 (रू0 छियान्नवे हजार नौ सौ पिचान्नवे मात्र) अर्थदण्ड के रूप में आंगणित होती है।

मौके पर शिकायतकर्ता श्री मदन लाल ग्राम असोई (पाटन) तहसील चकराता द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि ग्राम असोई (पाटन) मोटर मार्ग पर एकत्रित/भण्डारित उपखनिज बालू/रेत एवं टौंस नदी क्षेत्रान्तर्गत अवैध खनन का कार्य श्री दीवान सिंह पुत्र श्री मेहर सिंह ग्राम प्रधान असोई के दिशा निर्देशन में श्री विजन सिंह पुत्र श्री धन सिंह एवं श्री ग्यारह सिंह पुत्र श्री राम सिंह निवासी ग्राम आसोई (पाटन) तहसील चकराता द्वारा किया गया है।

अतः संयुक्त कमेटी से प्राप्त स्थल निरीक्षण आख्या के आधार पर कार्यालय के पत्र संख्या–93/खनिज–अनु0/2024 दिनांक 03 मई, 2024 तथा पत्र संख्या–94/खनिज–अनु0/2024 दिनांक 03 मई, 2024 के द्वारा शिकायकर्ता द्वारा आरोपित व्यक्तियों श्री ग्यारह सिंह पुत्र श्री राम सिंह निवासी ग्राम असोई (पाटन) तहसील चकराता व श्री विजन सिंह पुत्र श्री धन सिंह निवासी ग्राम असोई (पाटन) तहसील चकराता के विरूद्ध उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन, भण्डारण का निवारण) नियमावली–2021 के नियम 14(5)(क) के अंतर्गत नोटिस निर्गत कर दिया गया है। साथ ही शिकायकर्ता श्री मदन सिंह तथा शिकायकर्ता द्वारा आरोपित श्री दीवान सिंह, ग्राम प्रधान, असोई (पाटन), चकराता, देहरादून को भी प्रकरण से सम्बन्धित साक्ष्यों को उपलब्ध कराने अथवा अपना पक्ष/प्रत्युत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। प्रकरण के निस्तारण हेतु कार्यालय में अग्रिम तिथि दिनांक 17.05.2024 नियत की गयी है। **(संलग्नक–4, 5)**

संयुक्त निरीक्षण कमेटी द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि अवैध खनन के सम्बन्ध में तहसील चकराता के राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा पूर्व में भी निम्नवत कार्यवाही की गयी है, जिसका विवरण निम्नवत है **(संलग्नक–6)** :–

1. वाहन चालक सफरदिल पुत्र श्री सब्बीर अहमद, ग्राम दौलतपड़, तहसील विकासनगर, जिला देहरादून का वाहन संख्या–HP63(C)-3370 का अर्थदण्ड वाहन स्वामी शमशाद अली पुत्र श्री लिकायत,य ग्राम तरसाणू, तहसील चौपाल, जिला सिरमौर (हि0प्र0) द्वारा कुल 34,961 रू0 अदा किया गया।
2. वाहन स्वामी/चालक धर्मेन्द्र शर्मा, पुत्र श्री योगराज, निवासी–ग्राम मचराना, तहसील धामनी, जिला शिमला (हि0प्र0) द्वारा अर्थदण्ड रू0 31985 अदा किया गया।
3. श्री ग्यारा सिंह चौहान, पुत्र श्री राम सिंह , ग्राम आसोई के द्वारा मौके पर आर0सी0 आदि दस्तावेज ना देने के कारण उपजिलाधिकारी चकराता के न्यायालय से नोटिस जारी किया गया तथा नोटिस को ग्यारा सिंह से तामिल करा दिया गया।
4. वाहन का चैसिस नं0–MEC7604AFPPP067265 बिना नम्बर प्लेट का डंपर टौंस नदी से रेत भर का आ रहा था, जो राजस्वकर्मियों को देखकर हिमांचल प्रदेश की सीमा पर चला गया था, को टोल टैक्स बैरियर पर खड़ी पुलिस के सुपुर्द उचित आवश्यक कार्यवाही हेतु कर दिया गया है।

........4

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या–97 / 2024 मदन लाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांकित 05.04.2024 के कम में अनुपालन आख्या (Action taken Report) सादर अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।
संलग्नक–यथोपरि।

(सोनिका)
जिलाधिकारी
देहरादून

प्रतिलिपि :–
एडवोकेट अंजली राजपूत, पैनल अधिवक्ता, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को उपरोक्त के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

जिलाधिकारी
देहरादून

मुख्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
"गौरा देवी पर्यावरण भवन"
46बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून
E-mail : msukpcb@yahoo.com, दूरभाष : 0135-2607092

LiFE Lifestyle For Environment

पत्रांक : यूकेपीसीबी / एच.ओ. / सा0–183–763 / 2024 / 63)   दिनांक 23.04.2024

स्पीड पोस्ट / ई–मेल द्वारा

एन0जी0टी0 मैटर

5380

Received under Registered Cover No. EV 926684465 IN Dated 29-4-24 To ....

सेवा में,

1. **Deputy Director General of Forests**
   Integrated Regional Office
   Ministry of Environment, Forest & Climate Change
   25, Subhash Road, Dehradun
   E-Mail ID- moef.ddn@gov.in
2. जिलाधिकारी, जिला– देहरादून।

विषय:– मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन सं0–97 / 2024 Madan Lal Vs State of Uttarakhand & Ors. में पारित आदेश दिनांक 05.04.2024 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन सं0–97 / 2024 Madan Lal Vs State of Uttarakhand & Ors. में पारित आदेश दिनांक 05.04.2024 का अवलोकन करना चाहें। प्रकरण ग्राम पंचायत आसोई पाटन टोंस नदी में अवैध खनन के सम्बन्ध में है। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा विषयगत प्रकरण में वस्तुस्थिति हेतु निम्नानुसार विभागों की संयुक्त कमेटी का गठन किया गया है:–

1. जिलाधिकारी, देहरादून।
2. उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
3. क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून।

उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को समन्वय एवं अनुपालन हेतु नोडल एजेंसी नामित किया गया है। प्रकरण पर वस्तुस्थिति एवं नियमानुसार कार्यवाही सहित Factual and Action Taken Report दिनांक 05.05.2024 तक मा0 एन0जी0टी0 में दाखिल की जानी है। प्रकरण पर अगली सुनवाई दिनांक 08.05.2024 को नियत है। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश एवं आवेदक द्वारा प्रेषित आवेदन की छायाप्रति संलग्न हैं।

विषयगत प्रकरण में उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से डा0 राजकुमार चतुर्वेदी, क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0), क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ई–115, नेहरू कॉलोनी, देहरादून, (मो0नं0–9411101556, 8077736427, ई–मेल–ro.dehradun@gmail.com, rkchaturvedi@rediffmail.com) को नामित किया गया है।

कृपया उपरोक्तानुसार प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक:–यथोपरि।

भवदीय,

(डा0 पराग मधुकर धकाते)
सदस्य सचिव

पत्रांक : यूकेपीसीबी / एच.ओ. / सा0–183–763 / 2024 / तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि:– क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून को मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश एवं आवेदक द्वारा प्रेषित आवेदन की छायाप्रतियाँ इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि जिलाधिकारी, देहरादून एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून से सम्पर्क कर स–समय आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

सदस्य सचिव

संलग्नक-2.

: : आदेश : :

सदस्य सचिव, मुख्यालय उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड "गौरा देवी पर्यावरण भवन' 46वी, आई0टी0 पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून के पत्र संख्या यूकेपीसीबी/एच0ओ0/सा0–183-763/2024/63 दिनांक 23.04.2024, जिसके साथ मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या–97/2024 विषयक मदन लाल बनाम राज्य में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 05.04.2024 जिसमें निम्न आदेश पारित किये गये है " In view of the averments made in the application, we also consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and suggest appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of representatives of MoEF&CC Integrated Regional Office, Dehradun, Uttarakhand Pollution Control Board and the District Magistrate, Dehradun and direct the same to undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and suggest appropriate remedial action. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance.

अतः राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के पारित आदेश दिनांक 05.04.2024 एंव सदस्य सचिव, मुख्यालय उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड "गौरा देवी पर्यावरण भवन" 46वी आई0टी0 पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून के पत्र दिनांक 23.04.2024 के कम में ग्राम पंचायत आसोई पाटन टौंस नदी में अवैध खनन के सम्बन्ध में संयुक्त निरीक्षण हेतु उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से श्री डा0 राजकुमार चतुर्वेदी, क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0), क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून (मो0न0–9411101556) के साथ उपजिलाधिकारी चकराता को नामित किया जाता है।

ह0/–
(सोनिका)
जिलाधिकारी, देहरादून।

कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून।

E-Mail ID-dehradundm@gmail.com PHONE-0135-2622389 FAX-2720025

पत्र संख्या 1472/खनिज–अनु0/2024 दिनांक 24 अप्रैल, 2024

प्रतिलिपि– निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सदस्य सचिव, मुख्यालय उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड "गौरा देवी पर्यावरण भवन" 46वी, आई0टी0 पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून को पत्र संख्या यूकेपीसीबी/एच0ओ0/सा0–183-763/2024/63 दिनांक 23.04.2024 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

2– उपजिलाधिकारी चकराता को इस निर्देश के साथ प्रेषित की तत्काल संयुक्त स्थल निरीक्षण कर संयुक्त निरीक्षण आंख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

3– क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0) उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ई–115 नेहरू कालोनी देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

4– जिला खान अधिकारी, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त प्रकरण में उपजिलाधिकारी चकराता को सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करें।

25/4/24

24/4/24
(जय भारत सिंह)
अपर जिलाधिकारी (प्रशा0)
देहरादून।

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
ई–115 नेहरू कॉलोनी, देहरादून।
E-mail : roueppcb@gmail.com,

LiFE Lifestyle For Environment

पत्रांक : यूकेपीसीबी / आर.ओ.डी. / एन0जी0टी0–101 / 2024–25 / 405-248 दिनांक 03.05.2024

एन0जी0टी0 मैटर

संलग्नक-3.

सेवा में,

सदस्य सचिव
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
देहरादून।

विषयः– मा0 एन0जी0टी0 मे योजित O.A. No. 97/2024 Madan Lal Vs. State of Uttarakhand & Ors. में पारित आदेश दिनांक 05.04.2024 के सम्बन्ध में संयुक्त निरीक्षण आख्या।

महोदय,

कृपया उपरोक्त बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक सं0 यूकेपीसीबी / एच.ओ. / सा0–183–763 / 2024 / 63 दिनांक 23.04.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। प्रकरण में ग्राम पंचायत आसोई पाटन टोंस नदी में अवैध खनन के सम्बन्ध में है। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा विषयगत प्रकरण में वस्तुस्थिति हेतु संयुक्त कमेटी का गठन किया गया था जिसके क्रम में संयुक्त कमेटी द्वारा दिनांक 29.04.2024 का स्थल का निरीक्षण किया गया एवं निरीक्षण आख्या संलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय

(डा. आर0के0 चतुर्वेदी)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

प्राप्त
3.5.24

ADM (E)

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या–97/2024 विषयक मदन लाल बनाम राज्य में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 05.04.2024 के कम में संयुक्त निरीक्षण।

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या–97/2024 मदन लाल बनाम राज्य में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 05.04.2024 में प्रकरण ग्राम पंचायत आसोई पाटन टोंस नदी में अवैध खनन के सम्बन्ध में निरीक्षण हेतु निम्न विभागों की संयुक्त समिति द्वारा निरीक्षण कर प्रेषित करने के निर्देश दिये गये।

1. जिलाधिकारी, देहरादून।
2. उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून
3. क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून।

तत्क्रम में उपरोक्त विभागों द्वारा निम्न सदस्य को नामित किया गया,

1. उपजिलाधिकारी, चकराता।
2. डा0 आर0के0 चतुर्वेदी, क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
3. डा0 कृष्णेंदु मंडल, वैज्ञानिक –डी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून।

निरीक्षण के समय शिकायतकर्ता श्री मदन लाल ग्राम असोई (पाटन) तहसील चकराता की उपस्थिति में गठित समिति द्वारा राजस्व विभाग, खनन विभाग, वन विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति संलग्न है। **(संलग्नक–1)** उपरोक्त नामित सदस्यों की समिति एवं अन्य अधिकारियों द्वारा दिनांक 29.04.2024 को निरीक्षण किया गया। आख्या निम्नवत् है–

शिकायतकर्ता श्री मदन लाला ग्राम आसेई (पाटन) तहसील चकराता द्वारा प्रस्तुत संदर्भित पत्र में उल्लेखित स्थल तहसील चकराता के ग्राम पंचायत असोई पाटन के मोटर मार्ग अन्तर्गत स्थित भू–भाग है, निरीक्षण के दौरान ग्राम पंचायत असोई (पाटन) मोटरमार्ग के निकट स्थित 09 स्थानों पर बालू/रेत को भण्डारित /एकत्रित किया गया पाया गया तथा टौंस नदी में पूर्व में हुए अवैध खनन के साक्ष्य पाये गये। उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि मौका निरीक्षण दिनांक को प्रश्नगत स्थल पर कोई भी व्यक्ति अवैध खनन का कार्य करते हुए नहीं पाया गया।

ग्राम असोई (पाटन) मोटर मार्ग के किनारे मौके निरीक्षण दिनांक को भण्डारित/एकत्रित किये गये बालू/रेत की पैमाईस की गयी, जो क्रमशः 7.50 घनमीटर, 105 घनमीटर, 78.75 घनमीटर, 7.80 घनमीटर, 3. 60 घनमीटर, 29.26 घनमीटर, 480 घनमीटर, 60 घनमीटर एवं 75.60 घनमीटर बालू/रेत पाया गया। मौके पर उपस्थित शिकायतकर्ता श्री मदन लाल द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त स्थल पर श्री ग्यारह सिंह पुत्र श्री राम सिंह निवासी ग्राम आसोई (पाटन) तहसील चकराता द्वारा कुल 296.11 घनमीटर बालू एवं श्री विजन सिंह पुत्र श्री धन सिंह निवासी ग्राम असोई (पाटन) तहसील चकराता द्वारा कुल 551.40 घनमीटर बालू को अवैध रूप से एकत्रित/भण्डारित किया गया है। **(संलग्नक–2)**

उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग–1, की अधिसूचना संख्या–1874/VII-A-1/2021/158 ख–04 टीसी, दिनांक 10 नवम्बर, 2021 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड खनिल (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021 के नियम 14(5)(ख) में उल्लेखित है कि "अवैध भण्डारणकर्ता/अवैध खननकर्ता से अधिनियम की धारा–21 की उपधारा (2) एवं उपधारा (5) के अनुसार अवैध उत्खनित खनिज/परिवहन किये जा रहे अवैध खनिज/भण्डारित अवैध खनिज की मात्रा पर उपनियम (5)(क) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी तथा उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली–2023 के नियम 57(1) के प्राविधानानुसार जो कोई भी नियम–3 के उपबन्धों का उल्लंघन करें व दोषी सिद्व हो जाने पर प्रथम बार में अवैध उत्खनित खनिज की मात्रा पर रॉयल्टी का 02 (2) गुना तथा तत्पश्चात् रॉयल्टी का 03 (तीन) गुना के समतुल्य धनराशि वसूल की जायेगी।

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून की आख्यानुसार तहसील चकराता के ग्राम पंचायत आसोई (पाटन) के मोटर मार्ग पर शिकायतकर्ता की शिकायत के कम में श्री ग्यारह सिंह पुत्र श्री राम सिंह निवासी ग्राम आसोई (पाटन) तहसील चकराता द्वारा कुल 296.11 घनमीटर/532.99 टन बालू एवं श्री विजन सिंह पुत्र श्री धन सिंह निवासी ग्राम आसोई (पाटन) तहसील चकराता द्वारा कुल 551.40 घनमीटर/992.52 टन बालू का अवैध रूप से भण्डारण/एकत्रित किये जाने पर राज्य प्रचलित उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021 व संशोधित नियमावली–2023 के नियम (145)(क) एवं उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली–2023 के नियम 57(1) के अनुसार कार्यवाही किये जाने पर श्री ग्यारह सिंह पर रॉयल्टी का दो गुना अर्थात् रू 140/– प्रति टन की दर से (532.99x70x2) रू0 74,619/– (रू0 चौहत्तर हजार छः सौ उन्नीस मात्र) एवं श्री विजन सिंह पुत्र श्री धन सिंह पर रायल्टी का दो गुना अर्थात् रू0 140/– प्रति टन की दर से (992.52x70x2) रू0 1,38,953/– (रू0 एक लाख अड़तीस हजार नौ सौ तिनपेन मात्र) की धनराशि अर्थदण्ड के रूप में आंगणित होती है।

मौका निरीक्षण को ग्राम पंचायत आसोई (पाटन) के नीचे स्थित टौंस नदी क्षेत्र में अवैध रूप से उपखनिज उत्खनन कार्य पाया गया। मौके पर टौंस नदी में 05 स्थलों पर उत्खनित किये गये उपखनिज की पैमाईस की गयी, जो औसतानुसार निम्नवत् पायी गयी–

1. ल0 09 मी0 X चौ0 03 मी0 X गह0 0.70 मी0 = 18.90 घनमीटर (आर0बी0एम0)
2. ल0 27 मी0 X चौ0 05 मी0 X गह0 1.00 मी0 = 135 घनमीटर (आर0बी0एम0)
3. ल0 09 मी0 X चौ0 04 मी0 X गह0 0.50 मी0 = 18 घनमीटर (आर0बी0एम0)
4. ल0 03 मी0 X चौ0 02 मी0 X गह0 0.50 मी0 = 03 घनमीटर (आर0बी0एम0)
5. ल0 20 मी0 X चौ0 07 मी0 X गह0 1.50 मी0 = 210 घनमीटर ((बालू/रेत)

मौका निरीक्षण दिनांक को ग्राम पंचायत असोई (पाटन) के नीचे स्थित टौंस नदी क्षेत्र में कुल 384.90 घनमीटर/692.82 टन उपखनिज आर0बी0एम0, बालू/रेत का अवैध रूप से उत्खनन किया हुआ पाया गया। मौके पर उपस्थित शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया कि टोंस नदी क्षेत्र में अवैध खनन का कार्य श्री विजन सिंह पुत्र श्री धन सिंह एवं श्री ग्यारह सिंह पुत्र श्री राम सिंह निवासी ग्राम असोई (पाटन) तहसील चकराता द्वारा किया गया। टोंस नदी क्षेत्र में कुल 384.90 घनमीटर/692.82 टन उपखनिज आर0बी0एम0, बालू/रेत पर अवैध रूप से उत्खनन कार्य किये जाने पर वर्तमान में राज्य प्रचालित उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021 व संशोधित नियमावली–2023 के नियम 14(5)(क) एवं उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली–2023 के नियम 57(1) के अनुसार कार्यवाही किये जाने पर अवैध खननकर्ता पर रायल्टी का दो गुना अर्थात् रू0 140/– प्रति टन की दर से (692.82X70X2) रू0 96,995/– (रू0 छियान्नवे हजार नौ सौ पिचान्नवे मात्र) अर्थदण्ड के रूप में आंगणित होती है।

मौके पर शिकायतकर्ता श्री मदन लाल ग्राम असोई (पाटन) तहसील चकराता द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि ग्राम असोई (पाटन) मोटर मार्ग पर एकत्रित/भण्डारित उपखनिज बालू/रेत एवं टौंस नदी क्षेत्रान्तर्गत अवैध खनन का कार्य श्री दीवान सिंह पुत्र श्री मेहर सिंह ग्राम प्रधान असोई के दिशा निर्देशन में श्री विजन सिंह पुत्र श्री धन सिंह एवं श्री ग्यारह सिंह पुत्र श्री राम सिंह निवासी ग्राम आसोई (पाटन) तहसील चकराता द्वारा किया गया है। **(संलग्नक–3)**

उपरोक्त के अतिरिक्त राजस्व विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व में भी राजस्व विभाग द्वारा क्षेत्र में अवैध खनन पर कार्यवाही की गयी है, जिसका विवरण निम्नवत् है। **(संलग्नक–4)**

1. वाहन चालक सफरदिल पुत्र श्री सब्बीर अहमद, ग्राम दौलतपड़, तहसील विकास नगर, जिला देहरादून का वाहन संख्या–HP 63(C)-3370 का अर्थदण्ड वाहन स्वामी शमशाद अली पुत्र श्री लिकायत, ग्राम तरसाणू तहसील चौपाल जिला सिरमौर (हि0प्र0) कुल 34,961/– अदा किया गया।
2. वाहन स्वामी/चालक धमेन्द्र शर्मा पुत्र श्री योगराज निवासी ग्राम मचराना, तहसील धामनी, जिला शिमला (हि0प्र0) से अर्थदण्ड रू0 31,985/– अदा किया गया।

Rik

3. श्री ग्यारा सिंह चौहान पुत्र श्री रामसिंह, ग्राम आसोई के द्वारा मौके पर आर0सी0 आदि दस्तावेज न देने के कारण उसे उपजिलाधिकारी महोदय चकराता के न्यायालय से नोटिस जारी किया गया तथा नोटिस को ग्यारा सिंह से तामिल करा दिया गया। उसके द्वारा अभी तक कोई जुर्माना अदा नहीं किया गया है।
4. वाहन का चैसिस नं–MEC7604AFPPP067265 बिना नम्बर प्लेट का डंपर टौंस नदी से रेत भर कर आ रहा है। वह हमें देख कर हिमाचल प्रदेश की सीमा पर चला गया, जिस पर उक्त वाहन को टोल टैक्स बेरियर पर खड़ी पुलिस कर्मी विक्रम सिंह ठाकुर के सुपुर्द इस आशय से किया गया है उक्त डंपर चालक के विरूद्ध उचित कार्यवाही करने की कृपा करें, जिनका फोन नं–9015378588 है।

निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

(डा0 आर0के0 चतुर्वेदी)
क्षेत्रीय अधिकारी
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
देहरादून

(डा0 कृष्णेंदु मंडल)
वैज्ञानिक –डी,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु
परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून।

तहसीलदार / उपजिलाधिकारी
चकराता

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या 97/2024 विनोद मदन लाल बनाम राज्य में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.4.2024 के क्रम संयुक्त निरीक्षण आज दिनांक 29.04.24 को ग्राम पंचायत आराकोट पालन टौंस नदी का स्थल निरीक्षण किया गया उपस्थिति का विवरण निम्नवत है।

क्र.	नाम	पदनाम	हस्ताक्षर	
1	D. K. Mondal	JT Director MoEFCC	[signature]	
2.	Dr. R. K. Chaturvedi	RO, UKPCB	[signature]	
3.	Rakesh Landwal	AE, UKPCB	[signature]	
4	Manohar Lal Anjuwal	Je. (Ch)	[signature]	9084397659
5.	Rahul Negi	Mines Inspector	[signature]	9634110388
6.	Mr. Krishna Singh Bhandari	R.O Kanasar	[signature]	M.O. 7505639893
7.	Mr. Pramod Prasad Bangwal	(Forester)	Bangwal	
8.	Mr Ashish Singh	(Forest Beat Officer)	[signature]	
9.	Mr. Mayank Bartwal	(Forest Guard)	Mayank	
10.	Mr Madan Lal		मदन लाल	8580983108

NATIONAL GREEN TRIBUNAL (NGT) नई दिल्ली में योजित अपील No. 97/2024 मदन लाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के सम्बन्ध में स्थलीय निरीक्षण आख्या :–

कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून के पत्र संख्या 1473/खनिज–अनु0/2024 दिनांक 25 अप्रैल, 2024 एवं कार्यालय उपजिलाधिकारी चकरात के पत्रांक संख्या 353/एस0टी0/2024 दिनांक 25 अप्रैल, 2024 के क्रम में मा0 NATIONAL GREEN TRIBUNAL (NGT) नई दिल्ली में योजित मूल अपील संख्या No.97/2024 मदन लाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में दिनांक 05 अप्रैल, 2024 को पारित आदेश के अनुपालन गठित समिति राजस्व विभाग, खनन विभाग, वन विभाग, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार एवं उत्तराखण्ड पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियो/कर्मचारियो द्वारा शिकायकर्ता श्री मदन लाल ग्राम असोई (पाटन) तहसील चकराता की उपस्थिति में शिकायती स्थल का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 29.04.2024 को किया गया, आख्या निम्नवत है :–

मौका निरीक्षण दिनांक शिकायकर्ता श्री मदन लाल ग्राम असोई (पाटन) तहसील चकराता द्वारा प्रस्तुत सन्दर्भित पत्र में उल्लेखित स्थल तहसील चकराता के ग्राम पंचायत असोई पाटन के मोटर मार्ग अन्तर्गत स्थित भू–भाग है, निरीक्षण के दौरान ग्राम पंचायत असोई (पाटन) मोटर मार्ग के निकट स्थित 09 स्थानो पर बालू/रेत को भण्डारित/एकत्रित किया गया पाया तथा टौस नदी में पूर्व में हुए अवैध खनन के साक्ष्य पाये गये। उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि मौका निरीक्षण दिनांक को प्रश्नगत स्थल पर कोई भी व्यक्ति अवैध खनन का कार्य करते हुए नही पाया गया।

ग्राम असोई (पाटन) मोटर मार्ग के किनारे मौके निरीक्षण दिनांक को भण्डारित/एकत्रित किये गये बालू/रेत की पैमाइर्स की गयी, जो क्रमशः 7.50 घनमीटर, 105 घनमीटर, 78.75 घनमीटर, 7.80 घनमीटर, 3.60 घनमीटर, 29.26 घनमीटर, 480 घनमीटर, 60 घनमीटर एवं 75.60 घनमीटर बालू/रेत पाया गया। मौके पर उपस्थित शिकायकर्ता श्री मदन लाल द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त स्थल पर श्री ग्यारह सिंह पुत्र श्री राम सिंह निवासी ग्राम आसोई (पाटन) तहसील चकराता द्वारा कुल 296.11 घनमीटर बालू एवं श्री विजन सिंह पुत्र श्री धन सिंह निवासी ग्राम असोई (पाटन) तहसील चकराता द्वारा कुल 551.40 घनमीटर बालू को अवैध रूप से एकत्रित/भण्डारित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या 1874/VII-A-I/2021/158 ख–04 टीसी, दिनांक 10 नवम्बर, 2021 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021 के नियम 14(5)(ख) में उल्लिखित है कि ***"अवैध भण्डारणकर्ता/अवैध खननकर्ता से अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (2) एवं उपधारा (5) के अनुसार अवैध उत्खनित खनिज/परिवहन किये जा रहे अवैध खनिज/भण्डारित अवैध खनिज की मात्रा पर उपनियम (5)(क) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी तथा उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली–2023 के नियम 57(1) के प्राविधानानुसार जो कोई भी नियम–3 के उपबन्धों का उल्लंघन करे व दोषी सिद्ध हो जाने पर प्रथम बार में अवैध उत्खनित खनिज की मात्रा पर रॉयल्टी का 02 (दो) गुना तथा तत्पश्चात रॉयल्टी का 03 (तीन) गुना के समतुल्य धनराशि वसूल की जायेगी।"***

उपरोक्तानुसार तहसील चकराता के ग्राम पंचायत आसोई (पाटन) के मोटर मार्ग पर शिकायकर्ता की शिकायत के क्रम में श्री ग्यारह सिंह पुत्र श्री राम सिंह निवासी ग्राम आसोई (पाटन) तहसील चकराता द्वारा कुल 296.11 घनमीटर/532.99 टन बालू एवं श्री विजन सिंह पुत्र श्री धन सिंह निवासी ग्राम आसोई (पाटन) तहसील चकराता द्वारा कुल 551.40 घनमीटर/992.52 टन बालू का अवैध रूप से भण्डारण/एकत्रित किये जाने पर ***राज्य प्रचलित उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021 व संशोधित नियमावली–2023 के नियम 14(5)(क) एवं उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली–2023 के नियम 57(1)*** के अनुसार कार्यवाही किये जाने पर श्री ग्यारह सिंह पर रायल्टी का दो गुना अर्थात रू0 140/- प्रति टन की दर से (532.99X70X2) रू0 74,619/- (रू0 चौहत्तर हजार छः सौ उन्नीस मात्र) एवं श्री विजन सिंह पुत्र श्री धन सिंह पर रायल्टी का दो गुना अर्थात रू0 140/- प्रति टन की दर से (992.52X70X2) रू0 1,38,953/- (रू0 एक लाख अडतीस हजार नौ सौ तिरपेन मात्र) की धनराशि अर्थदण्ड के रूप में आंगणित होती है।

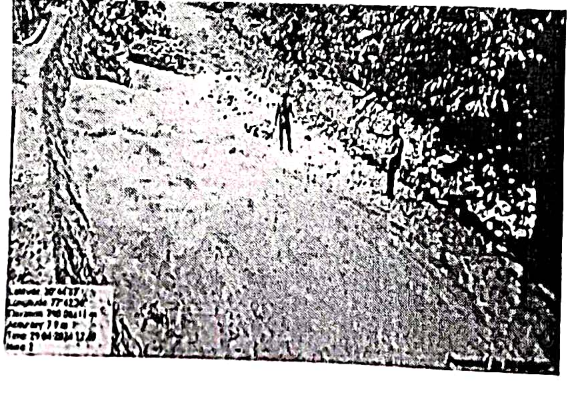

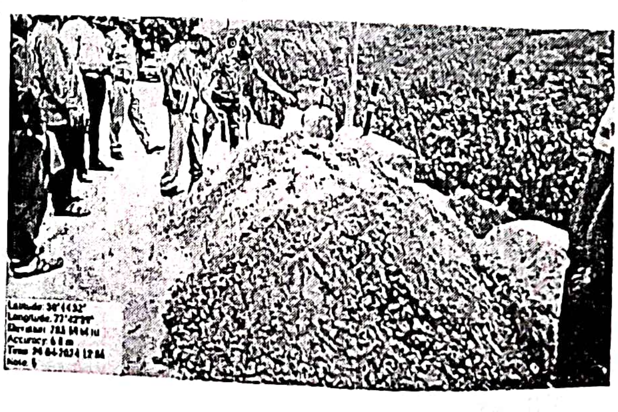

मौका निरीक्षण को ग्राम पंचायत आसोई (पाटन) के नीचे स्थित टोंस नदी क्षेत्र में अवैध रूप उपखनिज उत्खनन कार्य पाया गया। मौके पर टौस नदी में 05 स्थलो पर उत्खनित किये गये उपखनिज की पैमाईस की गयी, जो औसतानुसार निम्नवत पायी गयी :–

1. ल0 09 मी0 X चौ0 03 मी0 X गह0 0.70 मी0 = 18.90 घनमीटर (आर0बी0एम0)
2. ल0 27 मी0 X चौ0 05 मी0 X गह0 1.00 मी0 = 135 घनमीटर (आर0बी0एम0)
3. ल0 09 मी0 X चौ0 04 मी0 X गह0 0.50 मी0 = 18 घनमीटर (आर0बी0एम0)
4. ल0 03 मी0 X चौ0 02 मी0 X गह0 0.50 मी0 = 03 घनमीटर (आर0बी0एम0)
5. ल0 20 मी0 X चौ0 07 मी0 X गह0 1.50 मी0 = 210 घनमीटर (बालू/रेत)

उपरोक्तानुसार मौका निरीक्षण दिनांक को ग्राम पंचायत असोई (पाटन) के नीचे स्थित टोंस नदी क्षेत्र में कुल 384.90 घनमीटर/692.82 टन उपखनिज आर0बी0एम0, बालू/रेत का अवैध रूप से उत्खनन किया हुआ पाया गया। मौके पर उपस्थित शिकायकर्ता द्वारा अवगत कराया गया कि टोंस नदी क्षेत्र में अवैध खनन का कार्य श्री विजन सिंह पुत्र श्री धन सिंह एवं श्री ग्यारह सिंह पुत्र श्री राम सिंह निवासी ग्राम असोई (पाटन) तहसील चकराता द्वारा किया गया। टौस नदी क्षेत्र में कुल 384.90 घनमीटर/692.82 टन उपखनिज आर0बी0एम0, बालू/रेत पर अवैध रूप से उत्खनन कार्य किये जाने पर वर्तमान में ***राज्य प्रचलित उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021 व संशोधित नियमावली–2023 के नियम 14(5)(क) एवं उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली–2023 के नियम 57(1)*** के अनुसार कार्यवाही किये जाने पर अवैध खननकर्ता पर रायल्टी का दो गुना अर्थात रू0 140/- प्रति टन की दर से (692.82X70X 2) रू0 96,995/- (रू0 छियान्नवे हजार नौ सौ पिचान्नबे मात्र) अर्थदण्ड के रूप में आंगणित होती है। मौक पर शिकायकार्ता श्री मदन लाल ग्राम असोई (पाटन) तहसील चकराता द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि ग्राम असोई (पाटन) मोटर मार्ग पर एकत्रित/भण्डारित उपखनिज बालू/रेत एवं टौस नदी क्षेत्रान्तर्गत अवैध खनन का कार्य श्री दीवान सिंह पुत्र श्री मेहर सिंह ग्राम प्रधान असोई के दिशा–निर्देशन में श्री विजन सिंह पुत्र श्री धन सिंह एवं श्री ग्यारह सिंह पुत्र श्री राम सिंह निवासी ग्राम आसोई (पाटन) तहसील चकराता द्वारा किया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार निरीक्षण सादर प्रेषित है।

30/04/2024
खान निरीक्षक
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग
देहरादून

Latitude: 30°44'31"
Longitude: 77°42'45"
Elevation: 775.09±17 m
Accuracy: 5.9 m
Time: 29-04-2024 13:45
Note: 8
Powered by NoteCam

Latitude: 30°44'32"
Longitude: 77°42'38"
Elevation: 788.24±6 m
Accuracy: 11.5 m
Time: 29-04-2024 12:54
Note: 4
Powered by NoteCam

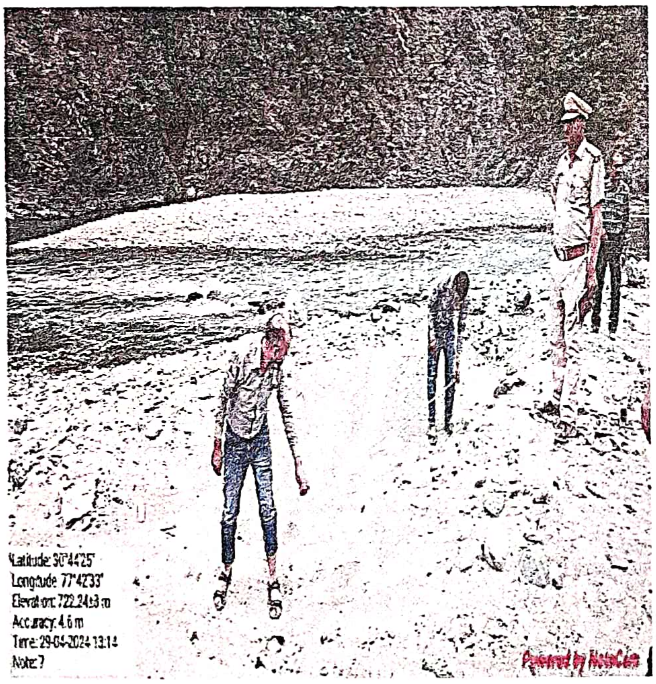
Latitude: 30°44'25"
Longitude: 77°42'33"
Elevation: 722.24±3 m
Accuracy: 4.6 m
Time: 29-04-2024 13:14
Note: 7
Powered by NoteCam

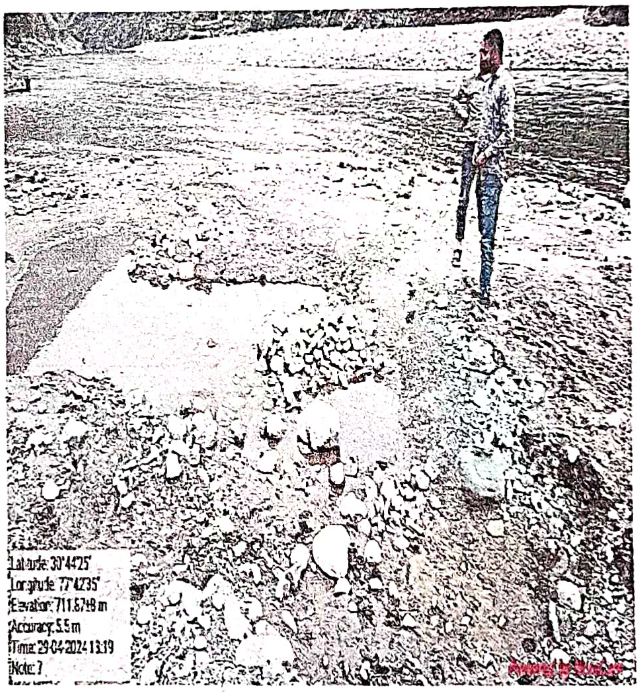
Latitude: 30°44'25"
Longitude: 77°42'35"
Elevation: 711.67±8 m
Accuracy: 5.5 m
Time: 29-04-2024 13:19
Note: 7
Powered by NoteCam

संलग्नक-6

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि दिनांक 25/04/24 को समय 8:00 p.m पर स्थान आसोई मध्य टौंस नदी के श्री मदनलाल s/o कालूराम नि० ग्राम आसोई खत भरम तह० चकराता की सूचना पर निम्न व्यक्तियों के (3 वाहन) को परिवहन करते हुए चालान किया गया है।

1- वाहन चालक सफरदिल s/o सब्बीर अहमद ग्राम दौलतपुर तहसील विकास नगर जिला देहरादून का वाहन सं- HP 63(C)-3370 का अर्थदंड वाहन स्वामी अमजद अली s/o लियाकत ग्राम तरसाणु तह० चौपाल जिला सिरमौर (हि० प्र०) कुल 34,961/=00 अदा किया गया।

2- वाहन स्वामी/चालक धर्मेन्द्र शर्मा s/o योगराज नि० ग्राम मन्चराना तह० धामी जिला शिमला (हि० प्र०) से अर्थदंड 31,985/=00 अदा किये गया।

3- रमारासिंह चौहान s/o रामसिंह ग्राम आसोई के द्वारा मौके पर R.C. आदि दस्तावेज न देने के कारण उसे उपजिलाधिकारी महोदय चकराता के कार्यालय से नोटिस जारी किया गया है तथा नोटिस को रमारासिंह से तामिल करा दिया गया उसके द्वारा अभी तक कोई जुर्माना अदा नहीं किया गया है।

4- वाहन का चैसिस न. MEC7604AFPPP067265 बिना नम्बर प्लेट का डंपर टौंस नदी से रेत भर कर आ रहा है वह हमे देखकर हिमाचल प्रदेश की सीमा पर चला गया जिस पर उक्त वाहन को टौंस टेन्ट बैरियर पर खड़ी पुलिस कर्मी विक्रमसिंह ठाकुर के सुपुर्द दस्तावेज किया गया है कि उक्त डंपर चालक के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने की कृपा करें। जिनका फोन न- 9015370588।

अतः रिपोर्ट सेवा में सादर प्रेषित है।

R. Ch 29/04/24

Daushal 29/04/2024 RSI (कुल्हाल)

संलग्नक-4

कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून।

E-Mail ID-dohradundm@gmail.com PHONE-0135-2622389 FAX-2720025

पत्र संख्या 93 /खनिज–अनु0/2024 दिनांक 03 मई, 2024

नोटिस अन्तर्गत उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन, भण्डारण का निवारण) नियमावली 2021 के नियम 14(5)(क)

1– श्री ग्यारह सिंह पुत्र श्री राम सिंह,
निवासी ग्रम असोई (पाटन) तहसील चकराता।

2– श्री विजन सिंह पुत्र श्री धन सिंह,
निवासी ग्राम असोई (पाटन) तहसील चकराता।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या–97/2024 मदन लाल बनाम राज्य में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 05.04.2024 के कम में शिकायतकर्ता श्री मदन लाल ग्राम असोई (पाटन) तहसील चकराता की उपस्थिति में गठित समिति द्वारा दिनांक 29.04.2024 को निरीक्षण किया गया।

समिति द्वारा प्रेषित संयुक्त निरीक्षण आख्या में उल्लिखित है कि ग्राम असोई (पाटन) मोटर मार्ग के किनारे मौके निरीक्षण दिनांक को भण्डारित/एकत्रित किये गये बालू/रेत की पैमाईस की गयी, जो क्रमशः 7.50 घनमीटर, 105 घनमीटर, 78.75 घनमीटर, 7.80 घनमीटर, 3.60 घनमीटर, 29.26 घनमीटर, 480 घनमीटर, 60 घनमीटर एवं 75.60 घनमीटर बालू/रेत पाया गया। मौके पर उपस्थित शिकायतकर्ता श्री मदन लाल द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त स्थल पर श्री ग्यारह सिंह पुत्र श्री राम सिंह निवासी ग्राम असोई (पाटन) तहसील चकराता द्वारा कुल 296.11 घनमीटर बालू एवं श्री विजन सिंह पुत्र श्री धन सिंह निवासी ग्राम असोई (पाटन) तहसील चकराता द्वारा कुल 551.40 घनमीटर बालू को अवैध रूप से एकत्रित/भण्डारित किया गया है।

उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या–1874/VII-A–1/2021/158 ख–04 टीसी, दिनांक 10 नवम्बर, 2021 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड खनिल (अवैध खनन, परिरवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021 के नियम 14(5)(ख) में उल्लेखित है कि "अवैध भण्डारणकर्ता/अवैध खननकर्ता से अधिनियम की धारा–21 की उपधारा पधारा (2) एवं उपधारा (5) के अनुसार अवैध उत्खनित खनिज/परिवहन किये जा रहे अवैध खनिज /भण्डारित अवैध खनिज की मात्रा पर उपनियम (5)(क) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी तथा उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली–2023 के नियम 57(1) के प्राविधानानुसार जो कोई भी नियम–3 के उपबन्धों का उल्लंघन करें व दोषी सिद्ध हो जाने पर प्रथम वार में अवैध उत्खनित खनिज की मात्रा पर रॉयल्टी का 02(2) गुना तथा तत्पश्चात् रॉयल्टी का 03 (तीन) गुना के समतुल्य धनराशि वसूल की जायेगी।

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून की आख्यानुसार तहसील चकराता के ग्राम पंचायत असोई (पाटन) के मोटर मार्ग पर शिकायतकर्ता की शिकायत के कम में श्री ग्यारह सिंह पुत्र श्री राम सिंह निवासी ग्राम आसोई (पाटन) तहसील चकराता द्वारा कुल 296.11 घनमीटर/532.99 टन बालू एवं श्री विजन सिंह पुत्र श्री धन सिंह निवासी ग्राम असोई (पाटन) तहसील चकराता द्वारा कुल 551.40 घनमीटर/992.52 टन बालू का अवैध रूप से भण्डारण/एकत्रित किये जाने पर राज्य प्रचलित उत्तराखण्ड खनिज (अवैध

खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021 व संशोधित नियमावली–2023 के नियम (14(5)(क) एवं उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली–2023 के नियम 57(1) के अनुसार कार्यवाही किये जाने पर श्री ग्यारह सिंह पर रॉयल्टी का दो गुना अर्थात् रू 140.00 प्रति टन की दर से (532.99X70X2) रू0 74,619.00 (रू0 चौहत्तर हजार छः सौ उन्नीस मात्र) एवं श्री विजन सिंह पुत्र श्री धन सिंह पर रायल्टी का दो गुना अर्थात् रू0 140.00 प्रति टन की दर से (992.52X70X2) रु0 1,38.953.00 (रू0 एक लाख अड़तीस हजार नौ सौ तिनपेन मात्र) की धनराशि अर्थदण्ड के रूप में आंगणित होती है।

मौके पर शिकायतकर्ता श्री मदन लाल ग्राम असोई (पाटन) तहसील चकराता द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम असोई (पाटन) मोटर मार्ग पर एकत्रित/भण्डारित उपखनिज बालू/रेत एवं टौंस नदी क्षेत्रान्तर्गत अवैध खनन का कार्य श्री दीवान सिंह पुत्र श्री मेहर सिंह ग्राम प्रधान असोई के दिशा निर्देशन में श्री विजन सिंह पुत्र श्री धन सिंह एवं श्री ग्यारह सिंह पुत्र श्री राम सिंह निवासी ग्राम आसोई (पाटन) तहसील चकराता द्वारा किया गया है, संयुक्त आख्या प्रेषित की गयी है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके द्वारा ग्राम असोई (पाटन) मोटर मार्ग पर एकत्रित/भण्डारित उपखनिज बालू/रेत का कार्य किया गया है, जिसके सम्बन्ध में आप अपना स्पष्टीकरण/जवाब 02 सप्ताह के अन्दर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा उक्त प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 17.04.2024 को समय 11:00 बजे सुनवाई हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

03/5/24

(जय भारत सिंह),
अपर जिलाधिकारी (प्रशा0),
देहरादून।

प्रतिलिपिः–

1– तहसीलदार चकराता को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नोटिस की एक प्रति तत्काल सम्बन्धित को तामिली कराकर तामिली की एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

2– शिकायतकर्ता श्री मदन लाल ग्राम असोई (पाटन) तहसील चकराता को इस आशय से प्रेषित कि आपके द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित शिकायत के सम्बन्ध में समुचित साक्ष्यों सहित सुनवाई हेतु दिनांक 17.04.2024 को समय 11:00 बजे सुनवाई हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

3– श्री दीवान सिंह पुत्र श्री मेहर सिंह ग्राम प्रधान असोई, तहसील चकराता को इस आशय से प्रेषित कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित शिकायत के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण/ जवाब 02 सप्ताह के अन्दर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा उक्त प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 17.04.2024 को समय 11:00 बजे सुनवाई हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

03/5/24

अपर जिलाधिकारी (प्रशा0),
देहरादून।

संलग्नक-5

कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून।

E-Mail ID-dehradundm@gmail.com PHONE-0135-2622389 FAX-2720025

पत्र संख्या 94 /खनिज–अनु0/2024 दिनांक 03 मई, 2024

नोटिस अन्तर्गत उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन, भण्डारण का निवारण) नियमावली 2021 के नियम 14(5)(क)

1– **श्री ग्यारह सिंह पुत्र श्री राम सिंह,**
निवासी ग्रम असोई (पाटन) तहसील चकराता।

2– **श्री विजन सिंह पुत्र श्री धन सिंह,**
निवासी ग्राम असोई (पाटन) तहसील चकराता।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या–97/2024 मदन लाल बनाम राज्य में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 05.04.2024 के कम में शिकायतकर्ता श्री मदन लाल ग्राम असोई (पाटन) तहसील चकराता की उपस्थिति में गठित समिति द्वारा दिनांक 29.04.2024 को निरीक्षण किया गया।

संयुक्त निरीक्षण आख्या में उल्लिखित है कि मौका निरीक्षण को ग्राम पंचायत असोई (पाटन) के नीचे स्थित टौंस नदी क्षेत्र में अवैध रूप से उपखनिज उत्खनन कार्य पाया गया। मौके पर टौंस नदी में 05 स्थलों पर उत्खनित किये गये उपखनिज की पैमाईस की गयी, जो औसतानुसार निम्नवत् पायी गयी –

1– ल0 09 मी0 x चौ0 03 मी0 x गह0 0.70 मी0 = 18.90 घनमीटर (आर0बी0एम0)
2– ल0 27 मी0 x चौ0 05 मी0 x गह0 1.00 मी0 = 135 घनमीटर (आर0बी0एम0)
3– ल0 09 मी0 x चौ0 04 मी0 x गह0 0.50 मी0 = 18 घनमीटर (आर0बी0एम0)
4– ल0 03 मी0 x चौ0 02 मी0 x गह0 0.50 मी0 = 03 घनमीटर (आर0बी0एम0)
5– ल0 20 मी0 x चौ0 07 मी0 x गह0 1.50 मी0 = 210 घनमीटर (बालू/रेत)

मौका निरीक्षण दिनांक को ग्राम पंचायत असोई (पाटन) के नीचे स्थित टौंस नदी क्षेत्र में कुल 384.90 घनमीटर/692.82 टन उपखनिज आर0बी0एम0, बालू/रेत का अवैध रूप से उत्खनन किया हुआ पाया गया। मौके पर उपस्थित शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया कि टौंस नदी क्षेत्र में अवैध खनन का कार्य श्री विजन सिंह पुत्र श्री धन सिंह एवं श्री ग्यारह सिंह पुत्र श्री राम सिंह निवासी ग्राम असोई (पाटन) तहसील चकराता द्वारा किया गया। टौंस नदी क्षेत्र में कुल 384.90 घनमीटर/692.82 टन उपखनिज आर0बी0एम0, बालू/रेत पर अवैध रूप से उत्खनन कार्य किये जाने पर वर्तमान में राज्य प्रचालित उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021 व संशोधित नियमावली–2023 के नियम 14(5)(क) एवं उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली–2023 के नियम 57(1) के अनुसार कार्यवाही किये जाने पर अवैध खननकर्ता पर रायल्टी का दो गुना अर्थात् रू0 140.00 प्रति टन की दर से (692.82x70x2) रु0 96,995.00 (रू0 छियान्नवे हजार नौ सौ पिचान्नवे मात्र) अर्थदण्ड के रूप में आंगणित होती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके द्वारा टौंस नदी क्षेत्रान्तर्गत अवैध खनन का कार्य किया गया है, जिसके सम्बन्ध में आप अपना स्पष्टीकरण/जवाब 02 सप्ताह के अन्दर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा उक्त प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 17.04.2024 को समय 11:00 बजे सुनवाई हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

03/5/24
(जय भारत सिंह),
अपर जिलाधिकारी (प्रशा0),
O/C देहरादून।

प्रतिलिपिः—

1— तहसीलदार चकराता को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नोटिस की एक प्रति तत्काल सम्बन्धित को तामिली कराकर तामिली की एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

2— शिकायतकर्ता श्री मदन लाल ग्राम असोई (पाटन) तहसील चकराता को इस आशय से प्रेषित कि आपके द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित शिकायत के सम्बन्ध में समुचित साक्ष्यों सहित सुनवाई हेतु दिनांक 17.04.2024 को समय 11:00 बजे सुनवाई हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

3— श्री दीवान सिंह पुत्र श्री मेहर सिंह ग्राम प्रधान असोई, तहसील चकराता को इस आशय से प्रेषित कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित शिकायत के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण/जवाब 02 सप्ताह के अन्दर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा उक्त प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 17.04.2024 को समय 11:00 बजे सुनवाई हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

03/5/24
अपर जिलाधिकारी (प्रशा0),
O/C देहरादून।